

कपिलधारा कूप निर्माण हेतु हितग्राही का शपथ पत्र

दिनांक.....

मैं श्री/श्रीमति _____ पति/पति _____ जाति _____ वर्ग _____
निवासी ग्राम _____ ग्राम पंचायत _____ जनपद पंचायत _____ जिला _____
राज्य का निवासी होकर सत्य शपथ पूर्वक कथन करता हूँ जो मनरेगा योजनातर्गत मेरा
जाबकार्ड क्रमांक _____ है, एवं मेरे द्वारा मनरेगा योजना की कपिलधारा उपयोजनातर्गत कूप
निर्माण/खेत तालाब हेतु आवेदन ग्राम पंचायत कार्यालय में किया है, जिस हेतु मेरी कृषि भूमि
की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम जहाँ कृषिभूमि स्थिति है	हलका/सर्वे क्रमांक	रकबा (एकड़ में)	भूमि का प्रकार सिंचित/असिंचित (सिंचित होने पर स्तंभित)
1				
2				
3				
4				
		योग		

उक्त कृषि भूमि के अतिरिक्त मेरे पास किसी अन्य हलके में कृषि भूमि नहीं है, एवं मेरे द्वारा
जो उपरोक्त जानकारी दी जा रही है वो सत्य है, किसी भी तरह की जानकारी असत्य या झुठी पायी
जाती है, तो ग्राम पंचायत/शासन द्वारा मुझे योजनातर्गत प्राप्त सहायता राशि निरस्त कर सम्स्त राशि
की वसूली करने का अधिकार ग्रामपंचायत/शासन को रहेगा। उक्त कार्य में शासन द्वारा निर्धारित
प्राक्कलन/साफदण्ड एवं दिशा निर्देशों के अनुसार ही निर्माण कार्य करूंगा।

उक्त कथन में अपने पुरे होंशों हवास में कर रहा हूँ, जो सही है।

हस्ताक्षर

हितग्राही का नाम _____

5. उल्लेखित हितग्राही द्वारा मनरेगा योजना की उपयोजना कपिल धारा अन्तर्गत कपिलधारा कूप निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में सर्वे नंबर.....रकबा.....में कूप एवं ट्यूबवेल नहीं है।
6. वर्तमान में हितग्राही द्वारा उल्लेखित सर्वे नंबर की भूमि नदी, तालाब, नाला, नहर एवं पास के अन्य हितग्राही के कुएँ / ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है।
7. उक्त सर्वे नंबर पर पूर्व से कच्चा कुँआ नहीं है।
8. उल्लेखित हितग्राही के पास कुलएकड़ जमीन है। जो भूमि असिंचित है।

पटवारी

हस्ताक्षर सील सहित

पटवारी प्रमाण पत्र

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति
पिता निवासी की कृषि भूमि की
जानकारी का विवरण निम्नानुसार -

1. उल्लेखित हितग्राही द्वारा मनरेगा योजना की उपयोजना कपिल धारा अन्तर्गत कूप निर्माण/खेत तालाब का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में सर्वे नंबर..... रकबा..... में पूर्व से कोई कूप अथवा ट्यूबवेल नहीं है।
2. वर्तमान में हितग्राही द्वारा उल्लेखित सर्वे नंबर की भूमि नदी, तालाब, नाला, नहर एवं पास के अन्य हितग्राही के कुएँ / ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है।
3. उक्त सर्वे नंबर पर पूर्व से कच्चा कुँआ नहीं है।
4. उल्लेखित हितग्राही के पास कुल एकड़ जमीन है। जो भूमि असिंचित है।

पटवारी

हस्ताक्षर सील सहित